



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273600
CG-DL-E-19062026-273600

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3058]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948

No. 3058]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3180(अ).— जबकि मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय - सी/ओ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेंटर, ए ब्लॉक, 34 संत तुकाराम रोड, कारनैक बंदर, मुम्बई - 400009 भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना, “कर्नाटक के कोप्पल में मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 340 (170+170) मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/28/2025-PG दिनांक 17.03.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना, “कर्नाटक के कोप्पल में मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 340 (170+170) मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ने स्थानीय समाचार पत्रों, डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी में) दिनांक 29.03.2025, राजस्थान पत्रिका (हिन्दी में) दिनांक 14.06.2025, प्रजावाणी (कन्नड़ में) दिनांक 14.06.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 26.07.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 29.04.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “कर्नाटक के कोप्पल में मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 340 (170+170) मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (जनरेशन स्विचयार्ड शिरागम्पी गांव, येलबुर्गा तालुक, कोप्पल जिला, कर्नाटक में स्थित) - गडग-II पीएस (आईएसटीएस एस/एस) 220 केवी एस/सी लाइन डीसी टावरों पर।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी:

क्र.सं.	गाँव का नाम	तहसील/ तालुक	जिला	राज्य
1.	शिरंगुपी, संकनूर, यारेहनचिनाल	येलबुर्गा	कोप्पल	कर्नाटक
2.	सूदी, कलकापुर, निदागुंडी, मरनबसारी, बुदिहाल, नरेगल	रोण	गडग	
3.	कोटुमाचागी, हरलापुर, तिम्मापुर, हल्लीगुडी	गडग	गडग	
4.	जंतली, आलूर	मुंदरगी	गडग	

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यक्षीन है।
- vi. मैसर्स टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/53/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3180(E).— Whereas M/s TATA Power Renewable Energy Limited having its registered address at Tata Power Renewable Energy Limited, C/o Corporate Centre, A Block, 34 Sant Tukaram Road, Carnac Bunder, Mumbai – 400009 India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission System for providing connectivity to M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. for its 340 MW (170 MW + 170 MW) wind power project Koppal, Karnataka”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/28/2025-PG dated 17.03.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to M/s TATA Power Renewable Energy Ltd. for its 340 MW (170 MW + 170 MW) wind power project Koppal, Karnataka.”

M/s TATA Power Renewable Energy Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers, Deccan Herald (in English) dated 29.03.2025, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 14.06.2025, Prajavani (in Kannada) dated 14.06.2025 and in Weekly Gazette of India dated 26.07.2025 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s TATA Power Renewable Energy Limited has submitted an affidavit dated 29.04.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission System for providing connectivity to M/s TATA Power Renewable Energy Limited for its 340 MW (170 MW + 170 MW) wind power project Koppal, Karnataka.” The following overhead line is covered under this scheme:

- Generation Pooling Station of M/s TATA Power Renewable Energy Limited (Generation Switchyard located at Shiragumpi Village, Yelburga Taluk, Koppal District, Karnataka) - Gadag-II PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c towers

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka:

S No.	Name of the Villages	Tehsil/ Taluka	District	State
1.	Shiragumpi, Sankanur, Yarehanchinal	Yelburga	Koppal	Karnataka
2.	Sudi, Kalkapur, Nidagundi, Maranabasari, Budihal, Naregal	Ron	Gadag	Karnataka
3.	Kotumaachagi, Harlapur, Timmapura, Halligudi	Gadag	Gadag	Karnataka
4.	Jantli, Alur	Mundargi	Gadag	Karnataka

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s TATA Power Renewable Energy Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s TATA Power Renewable Energy Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/53/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)